न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

पीठासीन अधिकारी अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 30/2019 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

1. बाबूलाल गुर्जर पुत्र स्व॰ श्री नानगराम गुर्जर जाति गुर्जर निवासी प्लाट नं॰11, रूपनगर प्रथम, अर्जुन नगर रेल्वे फाटक के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर राजस्थान।

अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती विद्या देवी पत्नी श्री बाबूलाल गुर्जर जाति गुर्जर
2. सपना पुत्री श्री बाबूलाल गुर्जर पत्नी श्री गोविन्द गुर्जर जाति गुर्जर
3. गरिमा पुत्री श्री बाबूलाल गुर्जर जाति गुर्जर

   समस्त निवासी प्लाट नं॰11, रूपनगर प्रथम, अर्जुन नगर रेल्वे फाटक के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर राजस्थान।
4. गोविन्द गुर्जर पुत्र श्री बाबू लाल गुर्जर जाति गुर्जर निवासी फतेहपुरा बासा, तहसील चौमू जिला जयपुर हाल निवासी प्लाट नं॰ 11, रूपनगर प्रथम, अर्जुन नगर रेल्वे फाटक के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर राजस्थान।

प्रत्यर्थीगण

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 16 अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 05.11.2019 उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय प्रकरण संख्या 50/2018 ब उनवानी बाबूलाल गुर्जर बनाम श्रीमती विद्या देवी व अन्य।

उपस्थितः–

1. अपीलान्ट्स स्वयं उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थीगण उपस्थित नही है।

निर्णय दिनांक 07.01.2021

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के प्रकरण संख्या 50/2018 ब उनवानी ब उनवानी बाबूलाल गुर्जर बनाम श्रीमती विद्या देवी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 05.11.2019 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 3 व 4 स्वयं उपस्थित है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस हेतु नियत दिनांक 007.01.2020 को प्रत्यर्थीगण उपस्थित नही है।
3. बहस एक पक्षीय अपीलार्थी की सुनी गई।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

4. अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थी मोहन दास की बगीची जयपुर में निवास करता था। उक्त मकान अपीलार्थी को उसके पूर्वजों से प्राप्त होकर पुश्तैनी मकान था। अपीलार्थी ने उक्त मकान में अपने हिस्से का बेचान कर दिया । अपीलार्थी ने उक्त मकान के बेचान से प्राप्त प्रतिफल की राशि से एक अन्य प्लाट संख्या 86 भागीरथ नगर, महेश नगर जयपुर में अपनी धर्मपत्नी प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम से खरीद किया जिसके पश्चात वर्ष 1999 में उक्त प्लाट संख्या 86 भागीरथ नगर का भी बेचान कर अन्य प्लाट संख्या 100 खरीद किया, जो भी प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम से ही खरीदा। उसके बाद उक्त प्लाट संख्या 100 का बेचान कर अपीलार्थी ने वर्तमान निवास स्थान प्लाट सख्या 1 रूपनगर प्रथम का खरीद किया, जो भी अपीलार्थी ने अपनी पत्नी प्रत्यर्थी संख्या 1 श्रीमती विद्या देवी के नाम से ही खरीद कर जयपुर विकास प्राधिकरण से प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम पट्टा प्राप्त किया। प्रत्यर्थी संख्या 1 श्रीमती विद्यादेवी अपीलार्थी की द्वितीय पत्नी है तथा अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 1 से नाता किया था, क्योकि अपीलार्थी की पूर्व पत्नी का निधन हो चुका था। अपीलार्थी की पूर्व धर्मपत्नी से एक पुत्री सुनीता है, जिसका विवाह किया जा चुका है तथा वह अपने सुसराल में निवास कर रह है। अपीलार्थी को प्रत्यर्थी संख्या 1 से 2 पुत्रियां हुई जो प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 है। अपीलार्थी उक्त प्लाट की खरीद से ही अपनी पत्नी प्रत्यर्थी संख्या 1 व दोनों पुत्रियों प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 के साथ उक्त निवास स्थान पर निवास करता आ रहा है। उक्त मकान रिहायशी हो कर 2 मंजिल बना हुआ है। जिसमे 4 कमरे, रसाईघर, लेटबाथ एवं स्टोर भूतल पर बना हुआ है तथा 3 कमरे, लेटबाथ व रसाईघर प्रथम तल पर बने हुये है। उक्त भूखण्ड के सामने की तरफ 30 फिट एवं पीछे की तरफ 10 फिट का रास्ता है। अपीलार्थी ने अपनी बडी पुत्री प्रत्यर्थी संख्या 2 का विवाह बडे धूमधाम से दिनांक 29.04.2018 को प्रत्यर्थी संख्या 4 के साथ कर दिया । विवाह के पश्चात से ही प्रत्यर्थी संख्या 2 व 4 लगातार घर आते रहते थे तथा प्रत्यर्थी संख्या 4 कई बार 2 दिन कभी 3 दिन तक लगातार यही पर रूकता था एवं पिछले 2 माह से लगातार अपीलार्थी के निवास स्थान पर ही निवास कर रहा है। अपीलार्थी एक वृद्व व्यक्ति है, जिसका स्थाई रूप से कोई आमदनी का स्त्रोत नही है तथा डायबिटीज व अस्थमा का मरीज है। प्रत्यर्थीगण अपीलार्थी को उक्त मकान में से निकाल कर उक्त मकान को बेचान कर प्रत्यर्थीगण आपस मे बांटना चाहते है प्रत्यर्थीगण के मन में खोट आ गया है तथा सभी मिल कर उक्त मकान को बेच कर उक्त मकान से प्राप्त राशि को हडप करना चाहते है। इसके चलते पिछल चार माह से उक्त सभी प्रत्यर्थीगण अपीलार्थी के साथ उसको मकान से निकालने की नियत से लगातार प्रताडित कर रहे है, दुर्व्यवहार कर रहे है तथा कई मर्तबा अपीलार्थी के साथ उक्त प्रत्यर्थीगणों ने मारपीट की । जबकि अपीलार्थी ने उक्त सभी प्रत्यर्थीगणो से हाथ जोड कर विनती की कि जब तक मै जिन्दा हूं तब तक मुझे इस मकान में रहने दो, मेरे पास अन्य कोई जगह नही है। कहां जाउगा तथा अक्सर बीमार रहता हूँ, परन्तु प्रत्यर्थीगण ने एक ना सुनी यहां तक कि अपीलार्थी का खाना पीना, चाय पानी सब कुछ बन्द कर दिया । जिस पर भी अपीलार्थी शान्त रहा तथा अपने लिये भोजन कभी ढाबे से तो कभी टिफिन सेन्टर से मंगवाता है। दिनांक 14.09.2018 को एक झूंठी शिकायत देकर अपीलार्थी को थाने में पकडवा दिया तथा जेल भिजवा दिया। अपीलार्थी जाते समय अपने कमरे पर ताला लगा कर गया था। दिनांक 15.09.2018 को जमानत पर रिहा होने पर वापस आकर देखा तो प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थी के कमरे का ताला तोड कर उसका सामान बाहर पटक दिया एवं अपीलार्थी के कमरे का स्वयं का ताला

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

लगा दिया तथा घर से बाहर निकाल दिया जो आज भी अपनी सबसे बडी पुत्री सुनिता के घर रह रहा है। अपीलार्थी बिलकुल निसहाय हो गया है जिसकी आय का भी कोई स्त्रोत नही है तथा अपीलार्थी के भूखा मरने तथा रोड पर रहने की नोबत आ गई है। उक्त सम्पत्ति अपीलार्थी के स्वयं के द्वारा अर्जित की हुई है, परन्तु पति पत्नी का एक अटूट संबंध एवं विश्वास होने के उक्त मकान प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम से खरीद किया था। अपीलार्थी उक्त मकान में लगातार निवास करता आ रहा है। उक्त मकान में एक कमरा नीचे भू–तल पर तथा उपर प्रथम तल का सम्पूर्ण हिस्सा किराये पर दे रखा है। जिसका समस्त किराया भी प्रत्यर्थीगण ही लेते है। अपीलार्थी के पास किसी प्रकार से गुजारा करने के लिए आय का साधन नही है। अपीलार्थी के भूखे मरने व रोड पर रहे की नोबत आ गई है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर अधीनस्थ अधिकरण से निर्विध्न रूप से उपरोक्त सम्पत्ति में निवास करने तथा उक्त सम्पत्ति को बेचान नहीं किये जाने, किसी प्रकार से हस्तान्तरित एवं अपीलार्थी के निवास में किसी प्रकार से खलल, व्यवधान उत्पन्न ना करें और ना ही किसी अन्य व्यक्ति से करावे। अपीलार्थी के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार दुराचार एवं मारपीट ना करे एवं ना ही किसी अन्य व्यक्ति से करावे तथा साथ ही जीवन निर्वाह हेतु 5000/–रूपये मासिक दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया गया, परन्तु अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार फरमाया जाकर उक्त सम्पत्ति में अपीलार्थी को निवास हेतु भूतल पर एक मकान तथा एक रसोई रहने हेतु जब तक अपीलार्थी जीवित है तब तक के लिये तथा प्रतिवादी संख्या 1 से पाबन्द किया कि जब तक अपीलार्थी जीवित है तब तक उक्त मकान का बेचान, उपहार, डीड आदि नहीं करे तथा साथ ही प्रतिवादीगण को पाबन्द किया कि अपीलार्थी के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार, दुराचार एवं मारपीट नहीं करे तथा ना ही किसी अन्य से करावें तथा अपीलार्थी के निवास में किसी भी प्रकार से खलल, व्यवधान उत्पन्न नहीं करे, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को उसके जीवन निर्वाह एवं खाने पीने एव भरण पोषण हेतु कोई राशि नहीं दिलाई है। जिससे अधीनस्थ अधिकरण ने विना किसी वैद्य कारण के नहीं माना है। अपीलार्थी 68 वर्ष का वृद्व व्यक्ति है तथा श्वास की बीमारी से ग्रसित है जिसके पास आय का कोई स्त्रोत नही है, परन्तु अधीनस्थ अधिकरण ने उक्त तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुये भरण पोषण की राशि अपीलार्थी को नहीं दिला कर भारी चूक की है। प्रंत्यर्थीगण की आय से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये है जो कि रिकार्ड पर उपलब्ध है। जिनसे स्पष्ट रूप से लगभग 15000/–रूपये मासिक किराया आना साबित होता है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को भरण पोषण एवं अपने जीवन यापन हेतु कोई भरण पोषण की राशि नहीं दिला कर चूक की है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आदेश 05.11.2019 स्वीकार है, जिसे अपीलार्थी चुनौती नहीं देता परन्तु अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के भरण पोषण हेतु कोई राशि नहीं दिलाई है । मात्र उक्त तथ्यों पर भरण पोषण की राशि दिलाये जाने हेतु माननीय अधिकरण के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की है । सभी प्रत्यर्थीगण स्वस्थ्य है तथा अपीलाथी की पुत्रियां भी वयस्क है तथा अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर रही है । जिनकी जिम्मेदारी है कि अपने वृद्वजनों का भरण पोषण करें तथा अपीलार्थी को भरण पोषण राशि दिलाया जाना न्यायोचित है। प्रत्यर्थीगण सभी एकराय होकर अपीलार्थी को घर से बाहर निकाल कर उक्त भवन को बेचान करना चाहते है और इसी के चलते प्रत्यर्थी संख्या 1 ने यह तथ्य भी दौराने विचारण अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह तथ्य अंकित किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 अपीलार्थी की पत्नी नहीं होकर चन्द्रेश

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

कुमार पुत्र मांगीलाल की पत्नी है। जिससे भी यह साबित होता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपीलार्थी को धोखा देकर तथा तथ्य छिपा कर विवाह किया था । प्रत्यर्थी संख्या 1 श्रीमती विद्या देवी चन्द्रेश कुमार से विवाहिता थी एवं चन्द्रेश कुमार से कथित विवाह की दिनांक तक कोई तलाक नहीं हुआ। जबकि अपीलार्थी ने प्रतिवादी सख्या 1 से सम्पूर्ण रीति रिवाजों से विवाह किया तथा जिसके बाद दो पुत्रियां प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 पैदा हुई । अपीलार्थी एक निसहाय व्यक्ति है जो मात्र अपने नित्य कर्म कर सकता है एवं लगभग 70 वर्ष का वृद्व व्यक्ति है तथा अक्सर बीमारियों से पीडित रहता है। जिसको अपने जीवन काल के दौराने अपने जीवन निर्वाह, भरण पोषण एवं दवाईयों इत्यादि के खर्चा के लिए पैसो की आवश्यकता होती है। ऐसे में अपीलार्थी को 5000/–रूपये भरण पोषण राशि के रूप में दिलाये जाना न्यायोचित है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ अधिकरण का आदेश यथावत रखते हुये 5000/–रूपया बतौर भरण पोषण राशि दिलाये जाने के आदेश फरमावे।

5. अपीलार्थी की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

6. अपीलार्थी ने प्रत्यर्थीगण से 5000/– रूपये प्रति माह भरण पोषण राशि दिलाने की मांग की है। किन्तु अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या एक को पत्नी एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 को पुत्रियां होना बताया है। जिनमे प्रत्यर्थी संख्या 2 का विवाह हो जाना एवं प्रत्यर्थी संख्या 3 गरिमा का विद्यार्थी होना पाया गया है। इसलिए अपीलार्थी को इनसे किसी प्रकार के भरण पोषण की राशि दिलाया जाना विधिक तौर पर उचित नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा भरण पोषण बावत चाहा गया अनुतोष स्वीकार योग्य नहीं है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है फलस्वरूप अधीनस्थ अधिकरण का आदेश दिनांक 05.11.2019 यथावत रखा जाता है। अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है।

7. आदेश की प्रति हस्व कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को अपीलाधीन आदेश की पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

8. निर्णय आज दिनांक 07.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

7/1/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर